

Filling no. RCS-A/559/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 155 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/559/2017

CNR no. MP30010049292017

सिविल वाद क्रमांक 155 ए/2017

संस्थापन दिनांक :-01/09/2017

1. भीमसेन पुत्र छोटेलाल, उम्र-54 वर्ष,
2. श्रीमती रामवती पत्नी श्री रामअवतार, उम्र-52 वर्ष,
दोनों निवासी-ग्राम मिहोनी,
तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)वादीगण/आवेदकगण

// बनाम //

1. डी0आर0एम0, उत्तर-मध्य रेलवे, झाँसी
पता-डी0आर0एम0 कार्यालय, उत्तर-मध्य रेल मण्डल,
झाँसी (उ0प्र0)
2. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, उत्तर-मध्य रेलवे, झाँसी
पता-कार्यालय वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता,
उत्तर-मध्य रेलवे मण्डल, झाँसी (उ0प्र0)
3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री पी0एन0 शुक्ला ।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री रामकरन शर्मा अधिवक्ता ।
प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया अधिवक्ता ।

// आदेश //

(आज दिनांक **05.04.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है ।
2. इस मामले में ग्राम मुड़ियाखेड़ा, तहसील व जिला-भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 क्षेत्र 0.931 (नया सर्वे क्रमांक 560) में से वादीगण द्वारा कय किये गये दो अलग-अलग भूखण्ड (एतस्मिन् पश्चात् **“दोनों विवादित भूखण्ड”** से निर्दिष्ट) पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है ।

3. आवेदन संक्षेप में यह है कि ग्राम मुड़ियाखेड़ा, तहसील व जिला भिण्ड की भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 क्षेत्र 0.931 पर गंभीर सिंह, वासुदेव सिंह, रामप्रकाश सिंह, हमीर सिंह का स्वत्व व कब्जा था। वादी भीमसेन ने उक्त सर्वे क्रमांक 498/1 में से एक भूखण्ड क्षेत्रफल 0.10 आरे पूरब से पश्चिम लम्बाई 45 फीट, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 25 फीट (चतुर्सीमा पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में रामप्रकाश की जगह, उत्तर में विक्रेता की जगह, दक्षिण में विक्रेता की जगह) दिनांक 07.02.1994 को क्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराया है। वादी श्रीमती रामवती पत्नी रामअवतार सिंह ने उक्त विवादित भूमि में से 0.11 आरे भूमि (चतुर्सीमा पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में लाल सिंह की जगह, उत्तर में विक्रेता की जगह, दक्षिण में रामा बाई की जगह) दिनांक 05.06.1993 को क्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराया है। उक्त दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रमशः नामांतरण पंजी क्रमांक 35 व 36 दिनांक 28.05.1998 पर वादीगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया और विवादित भूखण्ड क्रय किये जाने के समय से ही उक्त दोनों विवादित भूखण्ड पर वादीगण का स्वत्व व कब्जा है। दिनांक 20.08.2017 को वादीगण अपनी भूमि की साफ-सफाई करने गये तो देखा कि विवादित भूमि पर चार पिलर बने हुये थे, इस पर वादीगण ने वहाँ काम करने वाले मजदूरों से पूछा तो बताया गया कि रेलवे विभाग रेलवे स्टेशन भिण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्रीबॉल का निर्माण कर रहा है इसलिए आपकी (वादीगण की) जगह पर बाउण्ड्रीबॉल का निर्माण होना है। वादीगण ने निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों से कहा कि जिस विवादित जगह पर निर्माण हेतु पिलर खड़े कर दिये गये हैं वह भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है और विवादित भूमि पर बाउण्ड्रीबॉल का निर्माण न करें। इस पर बाउण्ड्रीबॉल का निर्माण कर रहे मजदूरों ने कहा कि वे प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के आदेश से कार्य कर रहे हैं और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के मना करने पर ही कार्य बंद करेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर रेलवे स्टेशन भिण्ड की बाउण्ड्रीबॉल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वादीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और विवादित भूमि का सीमांकन भी नहीं कराया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.08.2017 को बिना सूचना दिये पिलर निर्माण कर दिये जाने और दिनांक 20.08.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बाउण्ड्रीबॉल का निर्माण करने की धमकी दिये जाने पर यह सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है, विवादित भूमि पर जबरन निर्माण कर दिये जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी और उक्त परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमि पर निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि वादीगण ने गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। रेलवे विभाग केन्द्रीय

शासन के निर्देशानुसार विधिवत् कार्य करता है, ग्वालियर-इटवा रेल लाईन शुरू होने पर नये रेलवे स्टेशन भिण्ड की जगह के लिए विधिवत् नक्शा स्वीकृत किया गया और नक्शे के अनुसार शासन की ओर से रेलवे स्टेशन भिण्ड के लिए भूमियों को विधिवत् अधिग्रहित किया गया है। उक्त स्वीकृत नक्शे के अनुसार शासन की ओर से रेलवे स्टेशन भिण्ड के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि पर रेलवे विभाग द्वारा सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीबॉल का निर्माण किया जा रहा है जो कि लगभग पूरा हो चुका है। वादीगण का रेलवे विभाग द्वारा बनायी गयी बाउण्ड्रीबॉल की जगह में कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है और वादीगण द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18.09.2017 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है जिसे वादीगण ने पोस्टमैन से मिलकर वापस कर दिया। वादीगण ने धारा 80 सी0पी0सी0 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रमुख एवं रेलवे विभाग के महाप्रबंधक को कोई नोटिस नहीं दिया और वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से सव्यय खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. वादपत्र में यह अभिवचन है कि ग्राम मुडियाखेड़ा, तहसील व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 क्षेत्र 0.931 हे० के भूमिस्वामी गंभीर सिंह, वासुदेव सिंह, रामप्रकाश सिंह, हमीर सिंह से वादी क्रमांक 1 ने 45 गुणा 25 फीट का भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.1994 से और उक्त भूमिस्वामियों से ही वादी क्रमांक 2 ने एक भूखण्ड क्षेत्र 0.11 आर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1993 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। आगे यह भी अभिवचन है कि नामांतरण पंजी क्रमांक 35 व 36 दिनांक 28.05.1998 से वादीगण के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है और सर्वे क्रमांक 498/1 के बंदोबस्त उपरांत नवीन सर्वे नंबर 560 पर वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

7. वादपत्र के अभिवचन के समर्थन में वादीगण की ओर से वादी क्रमांक 1 का

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.1994, वादी क्रमांक 2 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1993 और नामांतरण पंजी क्रमांक 35 व 36 दिनांक 28.05.1998 की प्रति पेश की गयी है। उक्त दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 के तत्कालीन भूमिस्वामी गंभीर सिंह, वासुदेव सिंह, रामप्रकाश सिंह, हमीर सिंह पुत्रगण विजय सिंह ने दोनों विवादित भूखण्ड वादीगण को विक्रय किये हैं और बाद में नामांतरण आदेश भी पारित किया गया है परन्तु वादीगण की ओर से ऐसा कोई राजस्व अभिलेख खसरा या खतौनी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसमें कि भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 या नवीन सर्वे नंबर 560 पर वादीगण का नाम दर्ज रहा हो। वर्तमान वर्ष के खसरे या खतौनी में भी वादीगण का नाम भूमिस्वामी या कब्जाधारी के रूप में दर्ज होने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं है।

8. प्रतिवादीगण के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 में से क्षेत्र 0.732 हे० का विधिवत् अर्जन किया गया है और विधिवत् भूमि अर्जन के पश्चात् रेलवे द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है। इस संबंध में भूमि अर्जन की कार्यवाही में पारित अवार्ड दिनांक 16.06.1997 की प्रतिलिपित प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गयी है। प्रकरण क्रमांक 1/1994-95/भू-अर्जन से ग्राम मुड़ियाखेड़ा की अशासकीय भूमि का अर्जन ग्वालियर-इटवा नयी बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु किया गया है, उक्त प्रकरण में पारित अवार्ड दिनांक 16.06.1997 के सरल क्रमांक 20 पर भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 क्षेत्र 0.732 हे० के अर्जन का उल्लेख है, पैरा-2 में अधिसूचना के प्रकाशन और पैरा-5 के सरल क्रमांक 7 पर तत्कालीन भूमिस्वामी गंभीर सिंह, रामप्रकाश सिंह, वासुदेव सिंह, हमीर सिंह (वादीगण ने इन्हीं चार से भूखण्ड क्रय किये हैं) की आपत्ति के निराकरण का उल्लेख है।

9. अवार्ड दिनांक 16.06.1997 के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 क्षेत्र 0.732 हे० के अर्जन की कार्यवाही में भूमिस्वामी गंभीर सिंह, वासुदेव सिंह, रामप्रकाश सिंह, हमीर सिंह और उक्त भूमि पर मकान बनाकर तत्समय कब्जाधारी कपिल पुत्र पंचू, ओमवती, विद्याराम पुत्र समोखी, मंगल पुत्र भवानी के पक्ष में कुल 2,81,752/-रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। उक्त तथ्यों से यह प्रकट है कि भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 में से क्षेत्र 0.732 हे० भूमि विधिवत् अर्जित की गयी है और भूमि अर्जन की कार्यवाही के पश्चात् रेलवे द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है।

10. वादीगण की ओर से ऐसा कोई नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह प्रकट हो कि सर्वे क्रमांक 498/1 नवीन सर्वे नंबर 560 के किसी विनिर्दिष्ट भाग पर वादीगण का कब्जा दर्शित हो और प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट है कि भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 के क्षेत्र 0.732 हे० का विधिवत् अर्जन किया जा चुका है।

11. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से यह प्रकट है कि भूमि सर्वे क्रमांक 498/1 के क्षेत्र 0.732 हे० का विधिवत् अर्जन किये जाने के पश्चात् रेलवे को कब्जा सौंपा गया है और वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है। वादीगण किसी विनिर्दिष्ट भाग पर अनन्य रूप से अपना वास्तविक भौतिक कब्जा भी दर्शित करने में असफल रहे हैं, ऐसी दशा में वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति होना भी संभाव्य नहीं है और सुविधा का संतुलन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है।

12. अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 2/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म०प्र०)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म०प्र०)